

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 10 फरवरी 2026 मंगलवार

सम्पादकीय

डिजिटल दुनिया का शिकार बचपन

भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां बच्चों की दुनिया तेजी से बदल रही है. खिलौनों, मैदानों और दोस्तों की जगह मोबाइल स्क्रीन ने ले ली है. यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे-धीरे हमारी आंखों के सामने पनपा. गाजियाबाद की तीन नाबालिग बहनों और भोजपुर के एक 14 साल के बच्चे की मौत ने इस सच्चाई को बेहमती से उजागर कर दिया है कि डिजिटल दुनिया अक्सर बच्चों को मारने-मारे नहीं रही. बल्कि कई मासूम जिंदगियों के लिए मानसिक जाल बन चुकी है. ये घटनाएं क्यों इतनेफाक नहीं हैं, बल्कि उस सिस्टम का नतीजा है जहां बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा अहमियत डिजिटल मुनाफे को दी जा रही है.भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच ने पिछले एक दशक में क्रांति ला दी. सरकारी और निजी रिपोर्टों के मुताबिक आज देश में 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं और इन्में करीब एक तिहाई बच्चे और किशोर हैं. एक औसत भारतीय बच्चा रोजाना 3 से 6 घंटे स्क्रीन पर बिता रहा है. कोरोना महामारी के दौरान यह समय और बढ़ा. ऑनलाइन पढ़ाई ने मोबाइल को बच्चों की जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बना दिया. लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद भी बच्चे मोबाइल गेमिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैटिंग का प्रवेश द्वार बन गया. धीरे-धीरे बच्चों के लिए असली दुनिया उबाऊ और स्क्रीन के भीतर की दुनिया ज्यादा आकर्षक लगने लगी.

ऑनलाइन गेमिंग का मनोविज्ञान बेहद जटिल है. कई गेम्स और टास्क-बेस्ड ऑनलाइन ड्रेंड इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि यूजर को लगातार अगला स्तर पूरा करने की बेवनी भी रहे. हर टास्क पूरा होने पर दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो खुशी और संतुष्टि का एहसास देता है. यही प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है और लत बन जाती है. बच्चों का दिमाग, जो अभी विकास की अस्था में होता है, इस प्रभाव को समझ नहीं पाता. ये यह फर्क नहीं कर पाते कि गेम का दबाव और असली जिंदगी की अहमियत क्या है. गाजियाबाद की तीनों बहनों के मामले में भी शुरुआती जांच यही संकेत देती है कि वे एक टास्क-बेस्ड ऑनलाइन गेम से भागनासक रूप से जुड़ चुकी थीं, जहां गेम पूरा करना ही उनका लक्ष्य बन गया था.समस्या सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं है. सोशल मीडिया एगोरिज्म भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं. रील्स, शॉर्ट वीडियो और लाइव-शेयर का सिस्टम मुनाफे को लंबे समय तक स्क्रीन से बांधे रखता है. कंपनियों का बच्चों का बच्चा यूजर के समय पर निर्भर करता है. जितना ज्यादा समय बच्चा स्क्रीन पर रहेगा, उतना ज्यादा डेटा, उतना ज्यादा विज्ञापन और उतनी ज्यादा कमाई. लेकिन इस ढांच में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की कीमत कोई नहीं गिनता. भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिए बच्चों की सुरक्षा को लेकर नियम तो हैं, लेकिन वे या तो अपूर्ण हैं या सख्ती से लागू नहीं होते।

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि डिजिटल एडिक्शन बच्चों में अकेलापन, डिडिचिडान्स, नींद की कमी और अवसाद को बढ़ाता है. कई अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों के व्यवहार में अजीबानाका और सामाजिक दूरी पैदा करता है. बच्चे परिवार से अलग करने लगते हैं और ऑनलाइन दुनिया में मिले अनजान लोगों या कैरेक्टर से ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं. यही स्थिति उन्हें आसानी से मैनिपुलेट होने के खतरे में डाल देती है. ब्लू व्हेल, मोमो चॉलेंज या अन्य टास्क-बेस्ड ड्रेंड इसी मानसिक कमजोरी का फायदा उठाते हैं.दुनिया के कई देशों ने इस खतरे को गंभीरता से लिया है. चीन ने बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त समय सीमा तय की है. वहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे तब घंटों से ज्यादा गेम नहीं खेल सकते. दक्षिण कोरिया ने भी रात के समय बच्चों के गेमिंग पर रोक जैसे नियम लागू किए. यूरोप के कई देशों में सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों के डेटा और मानसिक सुरक्षा के लिए जवाबदेह ठहराया गया है. वहां उम्र सत्यापन, कंटेंट फिल्टर और पैरेंटल कंट्रोल को अनिवार्य बनाया गया है. इसके उलट भारत में ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया जैसी सब चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस और स्पष्ट नीति अब भी अदुर्लभ है।

माता-पिता की भूमिका भी इस घटना में अहम है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से ज़िम्मेदार नहीं ठहराई नहीं होना. बदलती तकनीकी की रफ्तार के साथ पैटर्नस खुद जूझ रहे हैं. कई बार ये बच्चों की ऑनलाइन माता, गैम्स या प्लेटफॉर्मों को समझ ही नहीं पाते. जब समस्या नजर आती है, तब तक हालात विगड़ चुके होते हैं. डॉट, मोबाइल छीनना या सख्ती अपसर बच्चों को और ज्यादा दूर धकेल देती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि संवाद, भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव ही इस्का सबसे बड़ा समाधान है. बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि वे अपनी उलझनें परिवार के साथ साझा कर सकते हैं.यह सवाल अब टालने लायक नहीं रहा कि क्या भारत को भी बच्चों के लिए सख्त सोशल मीडिया और गेमिंग नीति की जरूरत है. क्या उम्र सत्यापन को मजबूत नहीं किया जाना चाहिए. क्या कंपनियों को यह जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि उनके प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित हों. जब दूसरे देश यह कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं. डिजिटल दुनिया से बच्चों को पूरी तरह दूर करना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें बिना सुरक्षा के छोड़ देना एक तरह की लापरवाही है.गाजियाबाद और भोजपुर की घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि तकनीक जितनी ताकतवर है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है. अगर उसका इस्तेमाल बिना सतुलन के हो, यह सिर्फ एक परिवार या एक शहर की हानि नहीं है. यह पूरे समाज के लिए चेतावनी है. अगर अब भी नीति, समाज और परिवार एक साथ नहीं हैं, तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं. तब हमारे पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा. बच्चों का भविष्य डिजिटल बाजार के हवाले करना सबसे बड़ा जोखिम है, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कहीं यूपी में योगी को घरने की तो नहीं हो रही कोशिश

—राजेश श्रीवास्तव—

देश में इन दिनों एक अलग तरह का माहौल छाया हुआ है और दिलचस्प यह है कि उसका सबसे अधिक असर उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। बीते दिनों दो ऐसे प्रकरण आते जिसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। पहला मामला प्रयागराज से आया ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का और दूसरा मामला यूपीसी का। अगर यह मान लिया जाये कि शंकराचार्य का मामला यूपी में गरमथा तो यूपीसी का असर तो पूरे देश में होना चाहिए था लेकिन उसका भी सबसे अधिक विशेष उत्तर प्रदेश में ही दिखा. पूरे देश से विरोध।

1 की कोई तस्वीर नहीं दिखी। अक्षिष यह सिर्फ संयोग है। या फिर 2027 के चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ खेलं करनी के साजिश क्योंकि दोनों मामलों पर न तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई सफाई आयी और न ही सच ने किसी भी तरह का वक्तव्य दिया। जाहिर है कि इसका असर जो भी होगा उसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर ही होगा। बीते लोकसभा चुनाव में भी यूपी से भाजपा को खासा नुकसान हुआ है लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव है और भाजपा का जो मूल वोट बैंक दू. ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिया और मुसलमान है यह इस समय भाजपा से खासा नाराज है। मले ही यूपीसी



पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है लेकिन इस वर्ग में पार्टी को लेकर खासा आक्रोश है। पहले शंकराचार्य के मामले को लेते हैं। इस पर कोई मामला नहीं था लेकिन शंकराचार्य को 50 मीटर के लिए पैदल जाने की जगह करना और उसके बाद उनसे प्रशासन द्वारा यह मांग करना कि वह साबित करें कि वह शंकराचार्य हैं, इतने पर भी बात नहीं रुकी. पुलिस द्वारा उनके समर्थक साथ-सुतों के साथ दुर्व्यवहार की जो तस्वीरें आयी, वह हर हिंदू के मन को उदास कर गयीं क्योंकि अमी तब कब का हर हिंदू उम्मीद करता था कि अगर साथ-सुतों पर कोई बात आगेगी तो योगी आदित्यनाथ उसके साथ जरूर खड़े होंगे लेकिन इस मामले पर पुलिस की ज्यदाती

के बावजूद मुख्यमंत्री ने कोई दखल नहीं दिया और न ही पांच दिन घरने पर बैठे शंकराचार्य को मनाने के लिए कोई कोर-कसर ही करती सरकार दिखी। ऐसे में जब शंकराचार्य नाराज होकर चले गये तो अधिकारियों ने उनको मनाने की असफल कोशिश की जिसका और उल्टा असर हुआ जबकि इस मामले में उपमुख्यमंत्री के प्रखर हिंदुत्व की छवि पर आघात तो लगा। दूसरा प्रकरण यूपीसी का आया तो सबसे अधिक विविध प्रशंन यूपी में ही होने लगे। कुछ अधिकारी भी इसमें खड़े हो गये और अपना इस्तीफा भेजकर रौंटेया सेकने लगे। इन विरोध प्रदर्शन की आग इतनी बढ़ी कि यूपी में कई भाजपा नेताओं के इस्तीफे हो गये। कई भाजपा वि.ापकों ने तो खुलकर सरकार को विरोध का स्वर बुलंद कर दिया. कई विधायकों ने तो सरकार को मजा बखाने की चुनौती भी दे डाली. यह मुद्दा ऐसा बन गया कि मुख्यमंत्री ने इस पर ब्यापारी ऑड हो ली क्योंकि यह मुद्दा न तो उगलते बन रहा था

तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए साफ कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की प्रखर हिंदुत्व की छवि पर आघात तो लगा। दूसरा प्रकरण यूपीसी का आया तो सबसे अधिक विविध प्रशंन यूपी में ही होने लगे। कुछ अधिकारी भी इसमें खड़े हो गये और अपना इस्तीफा भेजकर रौंटेया सेकने लगे। इन विरोध प्रदर्शन की आग इतनी बढ़ी कि यूपी में कई भाजपा नेताओं के इस्तीफे हो गये। कई भाजपा वि.ापकों ने तो खुलकर सरकार को विरोध का स्वर बुलंद कर दिया. कई विधायकों ने तो सरकार को मजा बखाने की चुनौती भी दे डाली. यह मुद्दा ऐसा बन गया कि मुख्यमंत्री ने इस पर ब्यापारी ऑड हो ली क्योंकि यह मुद्दा न तो उगलते बन रहा था

तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए साफ कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की प्रखर हिंदुत्व की छवि पर आघात तो लगा। दूसरा प्रकरण यूपीसी का आया तो सबसे अधिक विविध प्रशंन यूपी में ही होने लगे। कुछ अधिकारी भी इसमें खड़े हो गये और अपना इस्तीफा भेजकर रौंटेया सेकने लगे। इन विरोध प्रदर्शन की आग इतनी बढ़ी कि यूपी में कई भाजपा नेताओं के इस्तीफे हो गये। कई भाजपा वि.ापकों ने तो खुलकर सरकार को विरोध का स्वर बुलंद कर दिया. कई विधायकों ने तो सरकार को मजा बखाने की चुनौती भी दे डाली. यह मुद्दा ऐसा बन गया कि मुख्यमंत्री ने इस पर ब्यापारी ऑड हो ली क्योंकि यह मुद्दा न तो उगलते बन रहा था

कमेटी हो तो जो सफारिशें की थी, अंतिम गाइडलाइन उससे हटकर आई। इस मामले में विशुद्ध राजनीति हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार की मंशा भी इसमें राजनीति को साधन है। दोनों तरफ से इस पर जो राजनीति खेली जा रही है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कमेटी में रविशंकर प्रसाद और बांसुरी स्वराज जैसे बड़े वकील शामिल थे, क्या उन्हें इसका आभास नहीं हुआ। सरकार को बाद में समझ आया, लेकिन सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली। यह कि सरकार नहीं चाहती कि यह कानून खत्म हो, इसलिए लॉग सरकार से नाराज हैं। दरअसल भाजपा पिछड़ों के वोट को साबने के लिए यूपीसी के सहारे ऐसा काम करने लेकर आयी थी लेकिन पिछड़ों से सचेत नहीं और जो अपने थे, वह भी बिखर गये। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी बड़े सचे तरीके से अपने बयान जारी किये। यूपी के मुख्य विपक्षी दल ने न इसका विरोध किया और न ही सार्वजनिक बहस यह कहा कि सरकार ऐसा होना चाहिए जिससे किसी का नुकसान न हो। मतलब सच था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यह एवट का भी दुर्प्रयोग हुआ लेकिन इस कानून के फायदे भी हुए हैं। देखाया यह पड़ना कि इस नियम को ठीक करने की बात हो रही थी या इन्हें खत्म करने की बात हो रही थी। ये मामला दुबारी तलवार वाला है. इस पर एक तरफा अघोष से काम नहीं चलेगा। यह हो लेंकिन इस सभी मामलों पर अगर जल्दी कुछ न किया गया तो नुकसान योगी आदित्यनाथ का सबसे अधिक होगा।

माहवारी पर सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि

—ललित गर्ग—

भारत के सामाजिक विकास की यात्रा में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक निर्णायक कसौटी रही है। पुनः भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक आंकड़ों या बुनियादी ढाँचे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह अपने समाज के आे हिस्से—महिलाओं को किनासा समाप्त, सुरक्षा और समान अवसर देता है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य को सांखिक के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं को मुक्त और सुरक्षित बायोडिजेनेरल सेनिटरी पेड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

महिलाओं के स्वास्थ्य को गंभीरता और स्वास्थ के साथ जोड़ने के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। स्कूलों में साफ-सुथरे शौचालय और पानी की उचित व्यवस्था अनिवार्य है। इस नियम का उद्देश्य पीरियड्स के कारण लड़कियों की पढ़ाई में उर्ध्व नींद बाधा को रोकना और उन्हें शर्मिंदगी से बचना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं और विशेषकर स्कूल लड़कियों की माहवारी से जुड़ी समस्या पर दिया गया ऐतिहासिक निर्णय, एक सकार और दूरदर्शी कदम है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिन का सवेन मीथिथर लीव नीति को भी मंजूरी दी है। यह फैसला स्कूलों में मासिक चर्म प्रकेशन की कमी को दूर करने और छात्राओं के सामानजिक शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। स्कूलों में अनिवार्य रूप से सेनेटरी पेड उपलब्ध कराने का निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक केना को झकझोरने वाला संदेश है। यह एक माहवारी जैसे विषय को गंभीर, लज्जा और अज्ञान के ओरे में नहीं छोड़ा जा सकता।

प्रश्नाना यह है कि जिस माहवारी को प्रकृति ने जीवन-यक का अविभागी और स्वस्थ हिस्सा बनाया है, उसे हमारे समाज ने सहियों से अस्विकार, अशुद्धता और वर्जना से जोड़ दिया। परिणामस्वरूप, करोड़ों महिलाओं को शक्तिशाली न केवल शारीरिक कष्ट झेलनी हैं, बल्कि मानसिक पीड़ा. हीनमन्यता और सामाजिक भेदभाका भी सामना करती हैं। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में माहवारी के दौरान लड़कियों को राश्ट्रों, पूजा, स्कूल और सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है। यह व्यवहार केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री की गरिमा और अधिकारों का प्रत्यक्ष हमला है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि 'माहवारी स्वच्छता की कमी महिलाओं की गरिमा को घटा पहुँचाती है' इस पूरे विषयों को एक नई संवेधानिक दृष्टि देती है। संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और गरिमा के अधिकार को यदि वास्तविक अर्थ में लागू करना हो, तो महिलाओं की माहवारी



सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्कूलों में सेनेटरी पेड की अविभाज्य व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अच्ययन बताते हैं कि स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में लड़कियाँ शिक्षाव्यवस्था में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। यह केवल शिक्षा का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज की बौद्धिक और नैतिक पूँजी की क्षति है।

न्यायालय ने शिक्षा को एक 'मैट्रिक्सलयर राइट' बताया जो अन्य मानवधिकारों के उपयोग की कुंजी है। न्यायालय ने इस निर्णय को केवल आदेशों की घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश दिए। कक्षा 6 से 12 तक की सभी छात्राओं को मुक्त, उच्च गुणवत्ता वाले आर्को-बायोडिजेनेरल सेनेटरी पेड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। इन निर्देश का एक्टिविटी कोड-6954 जैसे अनुराधितय मानकों के अनुसार होना अनिवार्य किया गया, ताकि स्वास्थ्य संस्था के साया पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही, पैड्स की सुरक्षा, सुरक्षित और गोपनीय उपलब्धता के लिए स्कूलों में वॉटरमैल या नाभिल आधारित की व्यवस्था तय की गई, जिससे छात्राओं की शिक्षाक और अस्वच्छता पूरी तरह दूर की जा सके। इसके साथ ही स्कूलों में 'मासिक चर्म स्वास्थ्य क्लिन' कोर्नर' स्थापित करने का आदेश दिया गया, जहाँ अतिरिक्त कर्मचारी, स्वेयर इन्फर्नियर, डिस्पोजेबल बैग और आवरथक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध होगी।

दिव्यांग छात्राओं के लिए क्लीटवार्श उपकरण, शौचालय और सहायक अनुसूचक जैसी विशेष सुविधाएँ अनिवार्य की गईं। निजी स्कूलों द्वारा निर्देशों की अवहेलना पर मान्यता दे कर करने का आग्राम सरकार जवाबदेही को मजबूत किया गया, ताकि यह फैसला केवल कानून का स्तरी सीमित न रहे, बल्कि हर छात्रा के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके। माहवारी स्वच्छता केवल पेड उपलब्ध 1 करने तक सीमित विषय नहीं है। इसके साथ ही देश के स्वस्थ शौचालय, साफ पानी, कचरा निपटाराण की व्यवस्था और स्वस्थ महत्वपूर्णता जमाने की माहवारी को समग्र रूप, धन और अवसरवादों से जोर दिया जाे क्योंकि उन्हें पहले से जोड़ें शैक्षणिक और संवेदनशील जानकारी और गरिमा। स्कूलों में लाू किया जाए और माहवारी को एक सामान्य जैविक

प्रक्रिया के रूप में समझाया जाए, तो यह कर और संकोच स्वतः समाप्त हो सकता है। यह भी घरे है कि माहवारी को लेकर समाज में फैली चुप्पी कोशियों की भूमिका को भी प्रश्नों के घेरे में लाती है। जब तक पुरुष-वाहे वे पिता हों, शिक्षक हों, प्रशासक हों या नीति-निर्माता, इस विषय को केवल 'महिलाओं का मामला' मानकर निर्यात करते रहेंगे, तब तक वास्तविक बदलाव संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने समाज और शासक पुरुषों को संवेदनशील बनने का अवसर दिया है। जागरूकता का अर्थ केवल महिलाओं को सकारात्मक नहीं, बल्कि पुरुषों को सदयद और जिम्मेदार बनाना भी है।

गंभीरता और आदिवासी क्षेत्रों में माहवारी से जुड़ी चुनौतियों और गंभीर हैं। वहाँ आज भी घरों के राख या अस्वच्छ शौचालयों का उपयोग आम है, जिससे स्वास्थ्य और शैक्षिकालिक संस्थानों पर उतमन होता है। सरकारी योजनाएँ और गैर-सरकारी प्रयास मीट रहे, परंतु उनमें पहचान और प्रभावशीलता अभी सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह ईमानदारी से लागू होना है, जो देश नीति और जमीन के बीच की खाई को पाने में सहायक हो सकता है। यह नीति विचारणीय है कि माहवारी स्वच्छता को केवल कल्याणकारी योजना न मानकर महिला अधिकारों के व्यापक ढांचे में देखा जाए। स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार—तीनों इन विषय से सीे 1 जुड़े हैं।

आज भारत 'एन प्रेवें' के साथ आगे बढ़ने की बात करता है—डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सस्टेनैबल ग्रोथ की आकांक्षा रखता है। किंतु यदि इस विकास की गथा में महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताएँ और समान शामिल नहीं हों, तो यह प्रगति खोखली सिद्ध होगी। वास्तविक प्रगति वह है जो सभसे और उर देर करने का साधार रहें। माहवारी जैसे विषय पर खुली चर्चा उर देर करने का प्रतीक है। समाज में जन-जागरूकता लाग इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। कानून और आदेश दिशा दिख सकते हैं, परंतु मानसिकता बदलना समाज की सांख्यिक जिम्मेदारी है। मीडिया, शिक्षा संस्थान, कर्मिक और सामाजिक संगठन सभी को निम्नकर माहवारी को लेकर क्ली श्रावियों को तोड़ना होगा। उर राय का निष्कर्ष है कि माहवारी और स्थापितना का विषय बनाम होगा। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम एक बुद्धिवादी, है मजिल नहीं। इस्की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इस इरु किस्म की ईमानदारी से लागू करते हैं और कितनी संवेदनशीलता से अपनते हैं।

सुहासिनी गांगुली :स्वातंत्र्य समर का अर्चित क्रांतिकारी स्वर

—प्रमोद दीक्षित मल्य—

आततायी, जुल्मी एवं दमनकारी अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करने वाले मा भारती के पुत्र-पुत्रियों की एक लम्बी श्रंखला है। अनेककाल क्रांतिकारी युवक-युवतियों ने पराकृतिता की बेड़ियों से भारत माता को मुक्त करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हस्ते-हस्ते फाँसी के फंदों को घूनी, सीने पर गोलियों का बौझर से बड़ू जो क्रांतिकारी संस्था युगपार (युगपार) से जुडी थी। अनगिनत जुल्म-अत्याचार को धुँधल पल पर धो-जागते सचेत संचित दिग्गे नीली शक्ते-जगते एकव्य वार भारत की स्वतंत्रता हेतु बद्धपरिकर हो अहंशिक साक्षिा साधना में जुटे रहे। क्रांतिकारियों के त्याग, तपस्या, संघर्ष, बलिदान एवं समर्पण से देश स्वतंत्र हो गणतंत्र बना। लात फिले से तिरंगा ध्वज ने नील गगन में फहरते हुए मानो अपनी स्वतंत्रता, सम्भ्रमता एवं गणतांत्रिक राज्य की उच्च स्वर में घोषणा कर क्रांतिकारियों के बलिदान एवं समर्पण की स्मरण की। 15 अगस्त को देश को आजादी मिली और स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक संघर्ष करने वाले मुंशी भर नेता नायक बन चमक उठे, अपनी हर सांस एवं लहू का एक-एक कतरा आजादी की नीने में बलिदान करने वाले असंख्य नायक नीने के ओरे में ही खड़े गये। आजादी की लिए सशस्त्र संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी युवा दिए गये। अकाल दसक अंगुलियों में गिने जा सकने वाले क्रांतिकारियों के योगदान को छोड़ शेष समय की बूल में कही द अवर्चित-अनवीर्यही हो रहे गये। इन अवर्चित-अनवीर्यही क्रांतिकारियों की श्रंखला में चटगाय शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का समयय करने वाली सुहासिनी गांगुली का क्रांतिकर्मी व्यक्तित्व लोक संमूय नहीं आ सका, जिन्हें आजीवन ले लोग 'सुहासिनी' की सम्मोहित कर अपनी श्रद्धा निवेदित करते थे।

आजीवन अविवाहित बचन देकर सेवा का द्रव धारण करने वाली क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली का जन्म 3 फरवरी, 1909 को बंगाली ढाका के निकट खुलना नामक स्थान पर हुआ था, जो अब बंगालदेश अंगरंग आता है। पिता अविनाशचंद्र गंगुली एवं माता श्रीमती सरला सुंदरी देवी अशुभिक विधवा से प्रभावित बालिका शिक्षा के समर्थक थे। इस कारण बालिका सुहासिनी गांगुली को शिक्षा का उचित प्रभु प्रकिया गया। 1924 में ईडन हाईस्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर सुहासिनी 1927 में एक-मुक्त हिंदी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर कलकत्ता आ गई। साक्षा ही उच्च शिक्षा हेतु अच्ययन का क्रम भी जारी रहा। यही कालेज में अच्ययन



के दौरान सुहासिनी की भेंट ईडन हाईस्कूल की पूर्व छात्रा प्रीतिताता वाडेंकर से हुई जो क्रांतिकारी संस्था युगपार (युगपार) से जुडी थी। फलतः सुहासिनी भी युगपार की सक्रिय सदस्य बन गयीं। तब कालेज में ही छात्री संघ की दो सदस्य सहयोगी-कमला दासगुप्ता एवं बीना दास से घनिष्टता बढ़ी, जो युगपार संस्था से सुहासिनी को क्रांतिकारी संघ से मद्दद पहुँचाने का काम करती थी। उनके माध्यम से सुहासिनी की भेंट रूसिक दास तथा हेमंत तरफदार से हुई जो क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करते हुए गुप्तचर से युवक-युवतियों को तत्वगवरकाली एवं बन-पिस्तरोंत घसाने का प्रशिक्षण देते थे और आन्तरिका के तीर-तरीके सिखाते थे। सुहासिनी गांगुली ने रुचि लेकर जल्दी ही इनमें निपुणता प्राप्त कर ली। हालाँकि क्रांतिकारी बहुत सावधानी रखते थे किंतु अंग्रेजी पुलिस और गुप्तचर भी भेद पाते थे। लिए पीछे पड़े रहते थे और किसी युवक-युवती के व्यवहार पर शंका होने पर धोरे-छिपे पीछा करते और आवश्यक जानकारी जुटा कर गिरफ्तार करने जाते थे। सुहासिनी गांगुली के देशभक्ति पूर्ण व्यवहार एवं कालेज अंग्रेज विद्यालय में शिक्षिका बन काम शुरू किया। एक क्रांतिकारी शक्तिशाल आचार्य की छंदम पाली के अंग्रेज एक बड़ा दुर्भाग्यला मकान किराये पर ले रहने लगे। अब यह भवन क्रांतिकारियों के उद्धारने योजना बनाने एवं क्रियान्वयन का मिलने की सुरक्षित जगह बन गया। क्रांतिकारियों का आना-जाना लगा रहता। 18 अप्रैल, 1930 को अंग्रेजों के हथियार, असहान, बन-बारूद आदि रखने की सुरक्षित जगह चटगाय शस्त्रागार पर मस्टर सूरीसन के नेतृत्व में जोरदार हमला कर हथियार लूट दिया गया। कुछ क्रांतिकारियों विप्रेन हेतु सुहासिनी गांगुली को जानकी गांगुली के योगदान को जानने होगे? यह एक प्रसन की बात है सुहासिनी पर उत्तर की प्रशिक्षा में बचन खड़ा होगा। सुहासिनी गांगुली की जन्म जल्दी के अवसर पर हमारे श्रद्धा सुप्तन समर्पित है।

था, किंतु आसमान को बादलों से घिरा हुआ था, मानो किसी अनहोली का संकेत दे रहे हों। (सुहासिनी के मकान में बैठे कुछ क्रांतिकारी योजना बनाने हेतु गुप्त बैठक कर रहे थे कि तभी अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स टेटांग ने अपने गुप्तचर और भारती पुलिस बल के साथ मकान को घाते और से घेर कर गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हमले से क्रांतिकारी संभन नहीं पाये।ध्वनि घोषाल नीली लगने से मौके पर ही स्वर्ण सिंघार गये, कुछ घायल हुए। क्रांतिकारी साक्षी शक्तिशाल आचार्य, सुहासिनी गांगुली, लोकनायक, गणेश घोष और हेमंत तरफदार गिरफ्तार कर लिए गये। मुकदमा चलाकर जेल की सजा हुई।

इस तरह सुहासिनी गांगुली वर्ष 1932 से 1938 तक खडगपुत्र का प्रसन हिस्ती जेल में बंद रही। जेल से छूटने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में काम करना प्रारंभ किया। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले हेमंत तरफदार की भरपूर मद्दद करने पर अंग्रेजी से फिर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए। वह 1945 में जेल से मुक्त हुई। वह धनवादी न आश्रम बनाकर रहने वाले संस्थानी हो गये क्रांतिकारी हेमंत तरफदार से मिली और संस्थानी की भाति रहते हुए लोक सेवा के काम में जुट गई। देश आजाद हो चुका था। वह कलकत्ता प्रवास करती और लोक जगल करती। आश्चर्य! पुलिस ने शांति भंग का आरोप में 1950 में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। जेल से छूटने के बाद सार्वजनिक जीवन से मोह भंग हो गया। 23 मार्च, 1965 को एक संस्कृत दुर्घटना में उनका निधन हो गया।

सुहासिनी गांगुली के अमूल्य योगदान से देश लगभग अर्धशक्तिशाल रहा। न कोई बर्बाद, न समान और ही कोई डाकू डिकर जती हुआ कि भारत की भागी पीढ़ी उर उर महनीय क्रांतिकर्मी व्यक्तित्व से परिचित होगी। हालाँकि कलकत्ता के एक उपनगर में एक गली का नाम 'सुहासिनी गांगुली सरणी' रखा गया है, पर उस गली से गुजरने वाले गाँवों के निवासी भी सुहासिनी गांगुली के योगदान को जानने होगे? यह एक प्रसन की बात है सुहासिनी पर उत्तर की प्रशिक्षा में बचन खड़ा होगा। सुहासिनी गांगुली की जन्म जल्दी के अवसर पर हमारे श्रद्धा सुप्तन समर्पित है।

माता सीता पर बहुर करने वाला काग कबल अपराधी नही, बल्कि बहुरकार का पीतक था। प्रवचन में बताया गया कि प्रभु श्रीमुरी के तेज से ग्याबल होकर जग काग को नही शरण नही मिली, तब उसने माता सीता के चरणों में गिरकर ग्यान खाना की। इस प्रसंग का केंद्रीय संदेश देते हुए भालाचरण ने कहा जहाँ गया समाप्त होता है, वही जगण आरम्भ होती है। भाला सीता की करण से प्रभु श्रीमुरी ने दंड को दया से परिचरु किया। काग की एक ओर बाँध बाँध किन उपलब्ध जीवन का अर्थ

